

"समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि ममणी-उरोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज दिनांक 03/02/15 को निश्चित किया गया है।

1. यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था नगर निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि नगर निर्माण / सब डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके अतिरिक्त स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

नाम भूमिधर

अधिशासी अभियन्ता
प्र.ख.0 लो.नि.वि.0
रुद्रप्रयाग

नाम—

हस्ताक्षर

1. भार्गव सिंह
2. पुष्कर सिंह
3. व. च. न. सिंह
4. भगवान सिंह
5. डिमन सिंह
6. साहज सिंह
7. सत्य सिंह
8. कलेश सिंह
9. भट्ट सिंह
10. दिव्य भाग सिंह
11. भागवत सिंह
12. सारंग सिंह
13. लाल सिंह
14. भागवत सिंह
15. वीर सिंह
16. विजयपाल सिंह
17. लाल सिंह
18. राजेश सिंह
19. रणवीर सिंह
20. लाल सिंह
21. करण सिंह
22. कुशल सिंह
23. लाल सिंह
24. जय सिंह

हस्ताक्षर
भारत सिंह
पुष्कर सिंह
व. च. न. सिंह
भगवान सिंह
डिमन सिंह
साहज सिंह
सत्य सिंह
कलेश सिंह
भट्ट सिंह
दिव्य भाग सिंह
भागवत सिंह
सारंग सिंह
लाल सिंह
भागवत सिंह
वीर सिंह
विजयपाल सिंह
लाल सिंह
राजेश सिंह
रणवीर सिंह
लाल सिंह
करण सिंह
कुशल सिंह
लाल सिंह
जय सिंह

पटवारी / ह.0 / मोहर